न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 124/2018 (75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (R.C.M.S . no 2018/00138)

टीकाराम पुत्र श्रीया जाति ब्राहमण निवासी बन्ध वारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर बयाना दिनाक 12.12.2017 व सिलसिले प्रार्थना पत्र रास्ता दर्ज करने बाबत खसरा नम्बर 3966, 3965 ग्राम बन्ध वारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 20.6.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्डाधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 12.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार बयाना द्वारा पत्रांक 4155 दिनांक 11.12.2017 से राजस्व रास्ते का रिकार्ड में अंकन करने बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 भू राजस्व अधिनियम एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 भू अभिलेख नियम 1957 इस आशय का तहत अदालत उपखण्डाधिकारी बयाना के समक्ष पेश किया कि मौका स्थिति एवं जनहित तथा नक्शा के अनुरूप एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में राजस्व ग्राम बंध बारैठा पटवार मण्डल महमदपुरा (तहसील बयाना) के खसरा नम्बर 3965, 3966, 4017, 4079, 4085, 4086, 4099, 4346, 4302, 4295 को जमाबन्दी में खातेदारों के खाते में ही रखते हुये गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज करने की अनुज्ञाप्रदान की जावे। जिस पर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा बाद परीक्षण अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 पारित किया गया जिसके तहत परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बयाना को आदेश दिये गये कि श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट/04/ दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में उक्त खसरा नम्बरान वाकै ग्राम महमदपुरा तहसील बयाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में खातेदारों के खाते में ही रखते हुये गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। अपीलान्ट को न कोई नोटिस जारी किये गये न कोई सूचना दी गई है न ही कोई मौका देखा गया है। यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व इस बात पर गौर नहीं किया है कि जिस तथाकथित फर्जी कार्यवाही के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जा रहा है वह पूर्ण रूप से फर्जी है व गैर कानूनी है व कानून व मौके के विपरीत है तथा जिसके करने का अधिकार भी नहीं है। अतः सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्तनीय है। यह कि जिस तथाकथित फर्जी कार्यवाही व प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट के तहत अपीलाधीन आदेश किया है वह कार्यवाही फर्जी होने के कारण व गैर कानूनी होने के कारण अपीलाधीन आदेश स्वयं ही गैर कानूनी हो जाता है जो काबिल निरस्तनीय है। यह कि अपीलाधीन आदेश में दर्ज आराजी में कोई भी रास्ता कायम नहीं है और न ही कभी रहा है न ही अब है बल्कि सम्पूर्ण आराजी का सम्पूर्ण भाग दो फसली है जिसमें दोनों फसल होती है व उक्त आराजी चारों ओर से खेतों से घिरी हुई है व उक्त आराजी की स्थिति व डौल मैडों की स्थिति आज भी उसी प्रकार कायम है जो सैंकडों साल पूर्व थी। तहत अदालत को इस प्रकार आदेश पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2017 को अंतर्गत धारा 251 आरटीएक्ट सरपंच ग्राम महमदपुरा द्वारा दिया गया है जो अवैध है क्यों कि रास्ते के लिये प्रार्थना पत्र भूमिधारी ही दे सकता है। इसके अलावा असत्य प्रार्थना पत्र के अधार पर तैयार की गई मौका जांच रिपोर्ट भी फर्जी है क्यों कि जांच रिपोर्ट मौके पर पैन से तैयार की जाती है किन्तु ये मौका रिपोर्ट कम्प्यूटर से तैयार की गई है। जांच रिपोर्ट में न हस्ताक्षर है न साक्षी है न ही नक्शा बनाया है। इस रिपोर्ट में यह भी फर्जी अंकन किया है कि रास्ते के रूप में दर्ज करने को खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है जबकि इस फर्जी कार्यवाही की खातेदारों को कोई जानकारी ही नहीं थी। सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है। तहत अदालत को किस्म परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1984 पेज 283, आरआरडी 1961 पेज 24, आरआरडी 1962 पेज 221, आरआरटी 2016–17 पेरा–7, आरआरटी 2016–17 पेज 597, आरआरटी 2016(1) पेज 440, आरआरटी 2017 पेज 524, आरआरटी 2018 पेज 601 का हवाला दिया गया। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि चूंकि अपीलाधीन कार्यवाही पूर्ण रूप से गोपनीय व फर्जी की गई है जिसकी प्रथम जानकारी राजस्व अभियान में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 1.5.2018 को धमकी देने पर व दिनांक 11.5.2018 को नकल लेने पर प्रथम बार हुई है । इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी इस फर्जी कार्यवाही के विरूद्ध अपीलान्ट राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन हेतु गया जहां पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त अपील पेश करने का आदेश पारित किया । अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। कानून के अनुसार गैर कानूनी आदेश के विरूद्ध कोई समय सीमा नहीं होती है। फिर भी अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर एवं बाद परीक्षण ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। तहत अदालत द्वारा दौराने पारित अपीलाधीन आदेश न्यायिक मंशा के साथ–साथ जनहित को सर्वोपरि रखते हुये श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–3 (2) राज–6/2003 पार्ट/04 दिनांक 10.8.2016 की पूर्ण रूपेण पालना की गई है इसलिऐ यह अपीलाधीन आदेश कानून के दायरे में रह कर ही पारित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से बिना वजह बिना किसी आधार के यह अपील पेश की गई है जो काबिल मंसूखी है। प्रकरण की वास्तविकता यह है कि जिला कलक्टर भरतपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/12/12( ) 2016/15182 दिनांक 1.12.2017 एवं श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र 10.8.2016 की पालना में वहैसियत भूमिधारी तहसीलदार बयाना द्वारा उपखण्डाधिकारी बयाना के समक्ष ग्राम महमदपुरा तहसील बयाना में प्रचलित रास्ते को रिकार्ड में दर्ज कराये जाने के संबध में पत्रांक 4155 दिनांक 11.12.2017 अंतर्गत धारा 131, 132 भू राजस्व अधिनियम एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 भू अभिलेख नियम 1957 पेश कर निवेदन किया गया कि खेरिया मोड से बंध बारैठा जाने वाली पक्की सडक के ग्राम बंध बारैठा में इस सडक से गोठडा जाने वाले रास्ते जो मौके पर कदीमी रूप से चालू व स्थायी रास्ता है का अंकन राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में है। रास्ता मौके पर 30 से 40 फुट चौडा है। इस रास्ते को राजस्व ग्राम नक्शे में खसरा नम्बर 3965, 3966, 4017, 4079, 4085, 4086, 4099, 4346, 4302, 4295 रास्ते के रूप में ही कदीमी प्रयुक्त होते हैं किन्तु लिपिकीय त्रुटी से जमाबन्दी में इन्हें खातेदारों के खाते में दर्ज किया गया है। ये समस्त खसरे राजस्व ग्राम बंध बारैठा के नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज है, जो मौके पर 30 से 40 फीट का स्थायी, कदीमी व पीढियों पुराना रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ खातेदारों की 4–5 फीट ऊंची मेड व प्राकृतिक पेड, पौधे खडे है जो बर्षों व पीढी दर पीढी पुराने है। किन्तु जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बरान को गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 12 एवं भू अभिलेख नियम 1957 नियम 58(2) के तहत पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक के साथ मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा रिपोर्ट बनायी गई । भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 138 एवं भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप उक्त सारणी के कॉलम नं0 4 की किस्म को मौका स्थिति अनुसार गै0मु0 रास्ते के रूप में अंकन किया जाना जनहित में एवं नक्शे के अनुरूप राजस्व रिकार्ड की स्थिति करने हेतु आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम बंध बारैठा पटवार मण्डल महमदपुरा तहसील बयाना के खसरा नम्बर 3965, 3966, 4017, 4079, 4085, 4086, 4099, 4346, 4302, 4295 को जमाबन्दी में खातेदारों के खाते में ही रखते हुये गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज करने की अनुज्ञा प्रदान करावें। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी

बयाना द्वारा बाद परीक्षण मौका रिपोर्ट, बयान, रिकार्ड के आधार पर श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–3 (2) राज–6/2003 पार्ट/04 दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में उक्त खसरा नम्बरान वाकै ग्राम महमदपुरा तहसील बयाना में खातेदारों के खाते में ही रखते हुये गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है जो न्यायिक है। इसके अलावा अपीलान्ट का यह कहना कि साक्ष्य नहीं ली गई कतई उचित नहीं है क्यों कि मौके पर उपलब्ध काश्तकार मटोली पुत्र शंकर गुर्जर जिनकी उम्र 72 वर्ष है जो यहां के स्थानीय मूल निवासी है उनके द्वारा स्पष्ट बयान दिये है कि यह रास्ता वर्षो पुराना है जिसको अपने बाप–दादाओं के समय से देखता चला आ रहा है। इसके अलावा रास्ते की ताईद सरपंच महमदपुरा के द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 24.11.2017 से भी बखूबी होती है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह रास्ता सैंकडो वर्ष पुराना है मौके पर चालू है राजस्व नक्शे में भी पुराना दर्शित है। इस रास्ते पर ग्राम पंचायत महमदपुरा द्वारा सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत कई बार काम कराया गया है। इस रास्ते से हजारो काश्तकारों एवं नागरिकों का हित जुडा हुआ है और रास्ता इन्द्राज करवाये जाने की प्रार्थना की गई है। जिला कलक्टर भरतपुर के पत्र दिनांक 1.12.2017 से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मौके पर रास्ता होने तथा रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से आमजन को समस्या का सामना करना पड रहा है । ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर भरतपुर के पत्र दिनांक 13.11.2017 एवं 1.12.2017 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में साथ ही आम जन की रास्ते की समस्या के निस्तारण हेतु तहत अदालत द्वारा न्याय के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील बिना कोई ठोस आधार के पेश की गई है खारिज योग्य रहती है। अन्त में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश विधि संगत होने के कारण किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश वहैसियत भूमिधारी तहसीलदार बयाना के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2017 के आधार पर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–3 (2) राज–6/2003 पार्ट/04 दिनांक 10.8.2016 के परिपेक्ष्य में पारित किया जाना जाहिर है। अपीलान्ट का यह कहना कि समस्त कार्यवाही फर्जी है, किन्तु कैसे फर्जी है ? इस संदर्भ में अपीलान्ट की ओर से दौराने सुनवाई अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसके कथनों की ताईद हो सके। अपील मीमो में यह अंकित करना कि मौका रिपोर्ट फर्जी है या हस्ताक्षर नहीं है, साक्ष्य नहीं है, सुनवाई नहीं की है या मौके पर रास्ता ही नहीं है तथ्यपरक नहीं है। क्यों कि तहत पत्रावली में बकायदा मौका रिपोर्ट संलग्न है जिस पर स्वयं भूमिधारी तहसीलदार बयाना के साथ–साथ पटवारी एवं गिरदावर के हस्ताक्षर मौजूद है। मौका रिपोर्ट से रास्ते के तथ्य स्पष्ट हो जाते है क्यों कि इस रास्ते में खंरजा होने के अवशेष आज भी मौजूद है। इसी रास्ते पर सिंचाई विभाग की पुलिया भी बनी हुई है जो रास्ते में सहयोगी है यह पुलिया भी वर्षों पुरानी है। इस रास्ते पर जो वर्तमान में चालू है और वर्षों पुराना है इससे हजारों काश्तकारों एवं हजारो आम नागरिकों का हित जुडा हुआ है । मौके पर उपलब्ध 72 वर्षीय काश्तकार मटोली जो स्थानीय निवासी है के बयान भी लिये गये है जो शामिल मिसिल है जिसने अपने बाप–दादाओं के समय से इस रास्ते की ताईद की है। इसके अलावा तहत रिकार्ड में संलग्न सरपंच महमदपुरा का पत्र दिनांक 24.11.2017 भी वर्षों पुराने रास्ते के होने तथा उस पर पंचायत की ओर से सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्य कराये जाने के तथ्य भी जाहिर किये गये है जिसका जिक्र मौका रिपोर्ट में भी आया है लिहाजा मौके पर रास्ता कायम होने के तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है। राजस्व रिकार्ड के नक्शे में भी रास्ता बखूबी इन्द्राज है। इस संदर्भ में राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 उपखण्डाधिकारी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करती है । राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 में उपखण्डाधिकारी कलक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप में रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उपखण्डाधिकारी भू अभिलेख अधिकारी भी है जिसके क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा एवं नक्शो राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व है। लिहाजा अपीलान्ट का यह कहना भी उचित नहीं है कि तहत अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकरण में तहत अदालत उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा बाद परीक्षण रास्ता स्पष्ट प्रमाणित हो जाने के उपरान्त ही श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–3 (2) राज–6/2003 पार्ट/04 दिनांक 10.8.2016 के अनुसरण में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के मध्यनजर आमजन के आवागमन के हित को ध्यान में रखते हुये मौके एवं रिकार्ड के अनुरूप ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 पारित किया गया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है लिहाजा अपील अपीलाधीन खारिज योग्य ही रहती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तहत अदालत उपखण्डाधिकारी बयाना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2017 में कोई विधिक त्रुटी न पाये जाने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official